ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 58-62
ISSN NO.-2347-2944
Vol-12, Issues-XII YEAR 2018 Extra

भारत में लैंगिक असमानता : जेण्डर बजटिंग एक सार्थक पहल

गौरव कुमार

सहायक अध्यापक, वरूण सिंह स्मारक जू0हा0स्कूल कॉलेज, कुतुबपुर, मुजफरनगर (उ0प्र0) भारत

Received- 03.08.2018, Revised- 06.08.2018, Accepted - 11.08.2018 E-mail: tuktukdoll11@gmail.com

सारांश : *भारत ही नहीं सम्पूर्ण विष्व में आज भी पुरूषों और महिलाओं के मध्य असमानता की खाई विद्यमान है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। प्राचीन काल से ही समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। स्त्रियाँ घर व समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान व भेद–भाव का शिकार होती आ रही है।*

हमारे धर्म व शास्त्रों में स्त्री को देवी माना जाता है, परन्तु इसके बाद भी उसे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीवन के प्रत्येक पथ पर संघर्ष करना पड़ता है। हिन्दू धर्म शास्त्रों में कहा भी गया है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। आज के युग में हम एक ओर तो देवियों की पूजा करते है परन्तु वहीं हम अपने परिवार व समाज की स्त्रियों का शोषण भी करते है। हमारे समाज में स्त्रियों को समानता का स्तर प्राप्त नहीं है उनके लिए समाज दोहरे मापदण्ड अपनाता है।

कुंजी शब्द – लैंगिक असामनता, लैंगिक आधार, शोषण, अपमान, अस्तित्व, शोषण, मापदण्ड।

ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरम्भ में न कोई सामाजिक संरचना थी और न ही कोई संस्कृति। तब न कोई अधिक महत्वपूर्ण था न ही कम। धीरे–धीरे सामाजिक संरचना स्पष्ट हुई और परिवार का स्वरूप उभरकर सामने आया। नारी को परिवार के आन्तरिक कार्यों की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया और यहीं से उन्हें एक निजी सम्पत्ति या वस्तु के रूप में देखा जाने लगा।

नारी मानव जाति की जननी तथा दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक कड़ी होती है। पुरूषों के साथ सहयोग, सेवा, सहानुभूति, त्याग व समर्पण की भावना रखने वाली नारी मानव समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। वैदिक काल में पुरूष व स्त्री को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त थी। वैदिकोत्तर काल में नारी की स्वतंत्रता और अधिकारों पर पुरूषों ने वैधानिक नियंत्रण लगाकर स्त्री के पद व मर्यादा को तुच्छ बना दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक शिक्षा रोजगार एवं व्यवसायों में स्त्रियों का अनुपात बढ़ा है। किन्तु अनेक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कारणों से उनकी स्थिति कमजोर बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े इलाकों तथा समाज के कमजोर वर्गों में तो स्त्रियों की स्थिति और भी गंभीर है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परिघटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य वर्ग से ही क्यों न हों, सबसे प्राप्त की है।

समाज के स्वास्थ्यवर्धक विकास में लैंगिक असमानता सबसे बड़ा अवरोध है। इस बात के प्रमाण उपलब्ध है कि जब से हमारे समाज में स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया जाने लगा तब से समाज बुराईयों, व्याधियों तथा अपराधों के जाल में फंसकर रह गया है। यह भी सर्वविदित है कि यह असमानता पूर्णतया खोखली है क्योंकि इस प्रकार की असमानता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सम्पूर्ण विश्व में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे महिलाएँ नहीं कर सकती फिर यह भेदभाव किस आधार पर किया जाता है।

लिंग पर आधारित इस भेदभाव के बहुत ही भयानक परिणाम हमें देखने को मिलते है जैसे भ्रूण हत्या। यदि हमारे समाज में इस प्रकार का भेदभाव न होता तो इस जघन्य अपराध का जन्म ही न होता। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण सभी महत्वपूर्ण कार्य पुरूषों को सौंपे गए, इसी कारण हर गृहस्थ यह आशा करता है कि उनके घर में भी कम से कम एक पुत्र अवश्य हो और इसी कारण भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्यों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। बालकों को परिवार में अधिक महत्वपूर्ण समझना कहीं न कहीं उनके मस्तिष्क में इस बात को जन्म देता है कि स्त्रियाँ हमारे जीवन में कम महत्वपूर्ण हैं तथा इसी कारण महिलाओं को समाज में कम सम्मान मिलता है। यदि हम भारत में लिंग आधारित सामाजिक भेदभाव के बारे में विचार करें तो यह घर से ही प्रारम्भ हो जाते हैं। लड़के–लड़कियों के जन्म, खान–पान, पालन–पोषण, उठने–बैठने, बाहर आने–जाने, कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य आदि के बारे में किया जाने वाला भेदभाव उनके भावी जीवन के प्रमुख अवसरों में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह स्त्री–पुरूष के बीच गहरी असमानता को जन्म देता है तथा महिलाओं

अनुरूपी लेखक

को हीन भावना और कुंठाओं से ग्रस्त करता है। यदि समाज में व्याप्त विविध क्षेत्रों से जुड़ी भूमिकाओं और उनसे जुड़े उद्बोधनों पर विचार करें तो वहाँ पर पुरूषों का ही बोलबाला है जैसे– सरपंच, सभापति, संसद, साहूकार, डॉक्टर आदि। ऐसा नहीं है कि महिलाएँ उपरोक्त भूमिकाओं का निर्वहन नहीं करती बल्कि समाज में जब भी उन्हें इन भूमिकाओं को निभाने का अवसर मिला है तो महिलाओं ने इन्हें बखूबी निभाया है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को समाज में बराबरी व विकास के समान अवसर दिए जाए। समाजीकरण के कारण ही पुरूषों की तुलना में महिलाएँ आज भी बहुत से क्षेत्रों में वंचित है तथा हर प्रकार के भेदभाव को अपनी नियति मानकर सहन करती आई है। लिंगानुपात एक अति संवेदनशील सूचक है जो महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री–पुरूष का अनुपात क्रमशः 940 : 1000 है जो चिन्ता का विषय है। बच्चों में लिंगानुपात निरंतर कम होता जा रहा है। इससे जनसंख्या में असंतुलन पैदा होता है जो महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि लैंगिक असमानता का शिकार केवल महिलाएँ ही नहीं होती बल्कि कुछ मामलों में पुरूषों को भी इसका सामना करना पड़ता है। भारत के सन्दर्भ में बात करें तो हमें संवैधानिक तौर पर कई प्रावधान ऐसे मिलते है जो लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाते है जैसे घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 स्पष्ट करता है कि महिलाएँ ही घरेलू हिंसा का शिकार होती है परन्तु यह सत्य नहीं है। इसी तरह विवाहेत्तर सम्बन्धों के मामले में केवल पुरूष को ही सजा दी जाती है महिलाओं को नहीं। न्याय की परिभाषा पुरूष व स्त्री का विभेद न कर मानव आधारित होनी चाहिए जिससे समाज सही दिशा में अग्रसर हो सके।

भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति होने के कुछ कारणों में अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी है। इसी कारण बहुत सी महिलाएँ कम वेतन पर घरेलू कार्य करने या प्रवासी मजदूरी के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर हो जाती है। महिलाओं को न केवल असमान वेतन दिया जाता है, बल्कि उनके लिए कम कौशल की नौकरियाँ पेश की जाती है जिनका वेतन बहुत कम होता है। यह लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है।

भारतीय समाज में महिला एवं पुरूष के मध्य रीति–रिवाजों, धार्मिक, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकारों एवं अन्य अनेक क्षेत्रों में अन्तर विद्यमान है। हमारे समाज में आज भी पुत्रों को पुत्रियों से अधिक महत्व दिया जाता है। समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता के बाद भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल, सड़कों, सार्वजनिक यातायात एवं अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई है। कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएँ असंगठित क्षेत्र में लैंगिक आधार पर श्रम व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर आदि लिंग भेद से उत्पन्न विभिन्न तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। लिंग भेद के कारण ही महिलाएँ यातनाओं का शिकार होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के कुल 359849 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सर्वाधिक 56011 उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए।

महिलाएँ एक हिंसा मुक्त परिवेश में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, इसके लिए उन्हें सहयोग देने के साथ–साथ उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। बाल लिंगानुपात में गिरावट, पक्षपातपूर्ण तरीके से लिंग चयन की परंपरा और बाल–विवाह इन सभी से पता चलता है कि लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता किस हद तक भारत के लिए एक चुनौती बनी हुई है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएँ भी बहुत होती है, विशिष्ट अल्पसंख्यक समूहों की महिलाएँ अपने जीवन साथियों की हिंसा का सर्वाधिक सामना करती है।

किसी भी समाज के निर्माण एवं विकास में महिला एवं पुरूष दोनों की परस्पर सहभागिता व साझेदारी अत्यन्त आवश्यक है। महिला एवं पुरूष को जीवन रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान माना गया है। अतः समाज के विकास एवं निर्माण के लिए महिला एवं पुरूष के मध्य सामंजस्य होना अनिवार्य है। महिलाओं के अधिकारों में कमी मानव सभ्यता के साथ होती गई और समय के साथ ही साथ महिलाओं का आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन रहा है। सरकार ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को समाप्त करने को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए उनकी तस्करी, घरेलू हिंसा तथा यौन शोषण रोकने के लिए विशेष उपाय किए हैं। नीतिगत कार्यक्रमों में लैंगिकता को प्रस्तावित और एकीकृत करने के लिए प्रयास भी किए गए है।

बजट शासन के महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी उपकरण होते हैं, जो उसकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। लिंग आधारित बजट समाज के विभिन्न वर्गों में बढ़ती चेतना की देन है। लैंगिक समानता की लड़ाई पूरे विश्व में लड़ी जा रही है। इस संसार के पटल पर लगभग दो–तीन दशकों में लैंगिक अर्थात् जेण्डर बजट की अवध ाारणा उभरकर आई है। इसके माध्यम से राष्ट्र–राज्य का

प्रयास होता है कि किसी भी सरकारी योजना के लाभ को महिलाओं तक इस तरह पहुँचाया जाए, जिससे लैंगिक स्तर पर पुरूषों और महिलाओं के बीच जो विकास की खाई बनी हुई है उसे पाटा जा सके। यह संकल्पनात्मक रूप से महिला सशक्तिकरण का ही विस्तार रूप है, जिसमें महिलाओं के विकास को स्वतंत्र रूप से न देखकर पुरूषों के बराबर पहुँचाने की कोशिश की जाती है।

वार्षिक बजट में महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए आवंटित बजट के प्रावधान और खर्च पर समीक्षा करना लैंगिक बजटिंग कहलाता है, इसमें महिलाओं के लिए अलग से बजट का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि आम बजट में महिलाओं और बालिकाओं पर हुए व्यय की समीक्षा की जाती है। लैंगिक बजट का अर्थ यह नहीं है कि महिलाओं के लिए अलग से बजट पेश किया जाए, बल्कि मुख्य बजट में ही कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि सामाजिक–लैंगिक दरार को भरने के लिए सहायता मिल सके।

वित्त मंत्रालय के सहयोग से केन्द्र और राज्य स्तर पर लैंगिक बजट के माध्यम से लैंगिक असमानता को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लैंगिक बजट लागू करने वाले राज्यों के स्कूलों में बालिका नामांकन की दर अधिक देखी गई है। लैंगिक बजट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि इस बजट को महिला कल्याण के लिए एक प्रतीकात्मक योजना के स्थान पर एक व्यावहारिक योजना बनाई जाए। लैंगिक बजटिंग के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी बनाने के स्थान पर उन्हें विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाना होगा। वैसे तो लैंगिक बजटिंग, लैंगिक असमानता को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है लेकिन इसके लिए लैंगिक बजट के माध्यम से नीतियों को और अधिक प्रभावी और व्यापक दृष्टिकोण से युक्त बनाना होगा, उचित व व्यावहारिक आवंटन सुनिश्चित करना होगा। वास्तविक सुधारों के लिए लैंगिक बजटिंग को महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा।

लैंगिक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा है फिर चाहे कामकाजी महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारण्टी देना। मातृत्व अवकाश के जो कानून सरकारी क्षेत्र में लागू हैं, उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा। लैंगिक बजटिंग और सामाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही भारत को लैंगिक असमानता के बन्धनों से मुक्त किया जा सकता है। हमारे देश में लैंगिक बजट के साथ–साथ अन्य ऐसे कार्यक्रम भी चलाए गए है जो लैंगिक समानता स्थापित करने में सहायक हो सकते है। जनवरी 2015 में बालिकाओं का संरक्षण और सशक्तिकरण करने वाले अभियान 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की शुरूआत की गई जिसे राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जा रहा है। वित्त पोषण सेवाओं के साथ महिलाओं की दक्षता और रोजगार कार्यक्रम देश के कोने–कोने में सुविधाओं से वंचित ग्रामीण महिलाओं तक पहुँच रहे है। यौन शोषण, घरेलू हिंसा और असमान पारिश्रमिक से सम्बन्धित कानूनों को भी मजबूती दी जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ भी विश्व स्तर पर लैंगिक समानता स्थापित करने हेतु प्रयासरत है। यू.एन., विमेन, यूनिसेफ, यू.एन.डी.पी. और यू.एन.एफ.पी.ए. का उद्देश्य लिंग चयन और बाल–विवाह के विरूद्ध किए जाने वाले कार्य को समर्थन देना है। इसके लिए जन समर्थन अभियान चलाए जा रहे हैं जैसे भ्म वितौम और लिंग आधारित हिंसा के विरूद्ध 16 दिनों का एक्टिविज्म (प्रत्येक वर्ष 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर) संयुक्त राष्ट्र ने नीति आयोग व डल ळवअजण् के साथ मिलकर पहली ंवउमद ज्तंदेवितउपदह प्दकपं अभियान शुरू किया। इस ऑनलाईन अभियान में देश भर की महिलाओं की लगभग 1000 प्रेरणादायी आपबीतियाँ प्राप्त हुई। यू.एन.एफ.पी.ए. और उसके साझेदारों ने किकस्टार्ट इक्वालिटी कैंपेन के माध्यम से 200 विद्यार्थियों को जोड़ा तथा यूथ की आवाज की साझेदारी में पुरूषों और लड़कों को संलग्न करने वाला एक ऑनलाईन अभियान चलाया गया।

हमारे देश तथा विश्व स्तर पर चलाए जाने वाले इन अभियानों तथा लैंगिक बजटिंग के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास एक सार्थक कदम है। आर्थिक रूप से अक्षम समूह जिनमें महिलाएँ, बच्चे, वृद्ध तथा अनुसूचित जाति व जनजाति आते है, समाज में सबसे कमजोर वर्ग का निर्धारण करते है। कमजोर वर्ग कभी भी सशक्त का सामना नहीं कर सकता, इसलिए पहले इन वर्गों को आर्थिक रूप से सक्षम करना होगा तभी ये वर्ग अपने अधिकारों की माँग को पूरा करने में समर्थ होंगे। समाज को एक सकारात्मक सोच आने वाली पीढ़ियों में समाहित करनी होगी। लैंगिक समानता को किन्हीं भौतिक प्रयासों से स्थापित करना सम्भव नहीं है वरन् इसके लिए संवेदनात्मक प्रयास करने होंगे। सभी को मिलकर ऐसे कानून, रीतियाँ तथा समाज का निर्माण करना होगा जहाँ सभी को समान समझा जाए तथा यदि किसी महिला को अधिक सुविधाएँ दी भी जाए तो कोई पुरूष उन्हें बोझ न समझे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रभा खेतान– 'स्त्री उपेक्षिता', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. गिड्स एन्थोनी, सोसियॉलोजी प्रकाशन : पोलिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1989।
3. en.wikipedia.org/wiki/Gender-budgeting
4. www.thehindu.com/news/national/other-states/uttar-pradesh-tops-in-crimes-against-women-says-ncrb-report/article29760974.ece.
5. en.wikipedia.org./wiki/2011_census_of_India.
6. un.org/sustainable development/gender-equality/
7. un.org/en/sections/issues-depth/gender-equality/

*****